ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) धर्मशाला, जिला कांगड़ा की उपयोक्ता प्रभार निधियों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 21.06.08 से 31.03.14

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000, ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 के दृष्टिगत ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) धर्मशाला के अवधि 21.06.08 से 31.03.14 के उपयोक्ता प्रभार निधि लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण इस विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री मुकेश कुमार स्नेही द्वारा दिनांक 16.12.14 से 12.01.15 के दौरान धर्मशाला में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आय तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु निम्न मासों का चयन किया गया हैः–

वर्ष	आय	व्यय
2008–09	7/08	9/08
2009–10	7/09	1/10
2010–11	6/10	11/10
2011–12	5/11	2/12
2012–13	6/12	12/12
2013–14	10/13	12/13

(ख) अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी ई–गर्वनेन्स सोसाईटी धर्मशाला (केन्द्रीय ईकाई) के अध्यक्ष व सचिव के पद पर कार्यरत रहेः–

अध्यक्ष		सचिव	
सर्वश्री कमलेश पंत	19.01.08 से 2.06.09	श्री डी0सी0 राणा	16.4.07 से 10.1.11
आर0एस0 गुप्ता	4.6.09 से 31.5.12	श्री सन्दीप सूद	10.1.11 से 14.2.11
के0आर0 गुंप्ता	1.06.12 से 4.01.13	श्रीमती कुमुद सिंह	14.2.11 से 30.4.11
सी0 पालरासु	4.1.13 से लगातार	श्री सन्दीप सूद	30.4.12 से 4.2.13
		डा0 हरीश गज्जू	4.2.13 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	6	बचत खाते से सम्बन्धित ब्याज की राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना	0.48
2	8	सोसाईटी द्वारा अनियमित रूप से ऋण की राशि का भुगतान करना	32.70
3	9	जनरेटर सैट की खरीद पर अनियमित व्यय करना	2.43
4	10	विभिन्न प्रकार से फार्मों की छपवाई पर व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताएं	6.18

5	11	ई–गवर्नेन्स निधि से अनियमित व्यय करना	1.67
6	12	सोसाईटी द्वारा खरीद कुटेशनों के आधार पर न करने बारे	2.03

(घ) इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैनात किया है। उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई है किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेदारी लेने से इन्कार करता है।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) धर्मशाला के वर्तमान निधि लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹16000/– बनता है। अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 12.01.15 के माध्यम से उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु सचिव, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) धर्मशाला से अनुरोध किया गया है।

3 वित्तीय स्थितिः–

(क) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) धर्मशाला की रोकड़ बही में विभिन्न (आर0एल0ए0) से प्राप्त आय की राशि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों/अन्य सेवाओं की जैसे कि आर्म लाईसैन्स जारी करना इत्यादि को भी इकटठा दर्ज किया गया है व सम्पूर्ण राशि को एस0बी0आई0 बैंक के बचत खाते में जमा किया जा रहा है। परिणामस्वरूप ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) धर्मशाला द्वारा समस्त गतिविधियों की समेकित वित्तीय स्थिति तैयार की गई है जोकि **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है। वित्तीय स्थिति के **परिशिष्ट "क–1"** में वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में अनेक मदें असमायोजित पाई गइ। अतः इन मदों का समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) धर्मशाला द्वारा जिला कांगड़ा के विभिन्न (आर0एल0ए0) से प्राप्त आय की राशि का विवरण **परिशिष्ट "क–2"** पर दिया गया है।

4 निवेशः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) धर्मशाला द्वारा दिनांक 31.03.14 तक ₹3551498/– का निवेश सावधि जमा के अन्तर्गत किया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

सावधि सं0	निवेशित तिथि	परिपक्वता तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता राशि	टिप्पणी
32156854549	24.01.14	24.01.15	1183790	1293981	1 वर्ष

एस0बी0आई0					
31694104260 एस0बी0आई0	30.3.14	30.3.15	1367708	1495019	1 वर्ष
337300PU00009169 पी0एन0बी0	29.3.14	29.3.15	1000000	1093083	1 वर्ष
		योग	**₹3551498**		

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) धर्मशाला द्वारा रोकड़ बही में उक्त सावधि जमा में निवेशित राशि में से केवल ₹3000000 ही दर्ज की गई थी जबकि सावधि जमा राशि पर पूर्व में अर्जित ब्याज की ₹551498/– को राकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर अर्जित ब्याज को भी तुरन्त रोकड़ बही में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 रोकड बही/लेखों का रख रखाव नियमानुसार न किया जानाः–'

हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000, ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखों का रख रखाव सुनिश्चित करते हुए प्रतिवर्ष बैलेन्स शीट तैयार की जानी अपेक्षित थी परन्तु सोसाईटी द्वारा न तो रोकड़ बही का निर्माण सही ढ़ंग से किया गया है और न ही लैजर बनाए गए है। इसके अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा बैलेन्स शीट भी तैयार नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जांच करने पर यह भी पाया गया कि प्रत्येक माह के अन्त में कोई मासिक विवरण नहीं दिया गया है। रोकड़ बही में योगों की गलत गणना करके रोकड बही में की गई अन्य त्रुटियों के फलस्वरूप रोकड़ बही में अन्तशेष वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाते है जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** में दिया गया है। अतः **परिशिष्ट "क"** के अनुसार रोकड बही के आधार पर तैयार की वितीय स्थिति तथा रोकड़ बही में दर्शाए अन्तशेषों में भिन्नता पाई गई। रोकड़ बही में पाई गई उक्त समस्त अनियमितताओं को सचिव, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी एवं उप–मण्डल अधिकारी (ना0) के ध्यानार्थ अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 08.1.15 द्वारा लाया गया जिसके उतर में उनके द्वारा समस्त अभिलेख ठीक ढ़ंग से तैयार करने का आश्वासन दिया। अतः परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब नियमों की अनुपालना करते हुए रोकड़ बही का निर्माण सही ढ़ंग से करने के अतिरिक्त सम्बन्धित लेजर, बैलेन्स शीट तैयार करके जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में प्रत्येक माह में प्राप्त की गई कुल आय तथा माह के दौरान किए गए कुल व्यय का विवरण देने के उपरान्त अन्तशेष का भी विवरण देकर, हस्तगत

राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व बैंक में जमा राशि का विवरण भी दिया जाए तथा रोकड़ बही के शेष का बैंक मिलान करके बैंक समाधान विवरणी भी समय–2 पर तैयार की जाए

6 बचत खाते से सम्बन्धित ब्याज की ₹48300/– को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान रोकड बही व बैंक पास बुक के मिलान के दौरान पाया गया कि सोसाईटी द्वारा दिनांक 31.3.14 तक बचत खाते से सम्बन्धित ब्याज की ₹48300/– को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था जिसके अभाव में सोसाईटी की वास्तविक वितीय स्थिति परिलक्षित नहीं होतो है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त ब्याज की राशि की संस्था स्तर पर जांच करके इसकी प्रविष्टियां रोकड बही में की जाए तथा भविष्य में समय–2 पर अर्जित ब्याज की रोकड़ बही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

7 माह 7/09 व 6/10 से सम्बन्धित रसीदों को जांच हेतु प्रस्तुत न करनाः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) धर्मशाला द्वारा माह 7/09 व 6/10 की वसूलियों से सम्बन्धित रसीदें/रसीद पुस्तक अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण आय की पूर्ण जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित रसीदें जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

8 सोसाईटी द्वारा अनियमित रूप से ऋण की ₹3270354/– का भुगतान करने बारेः–

(क) अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि ई–गवर्नेन्स (केन्द्रीय ईकाई) धर्मशाला द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹3270354/– के ऋण का अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। ई–गर्वनेन्स नियम संख्या 4.4 के अनुसार ऋण की राशि केवल ई–गवर्नेन्स प्रोजेक्ट के लिए जारी की जानी अपेक्षित थी जबकि जांच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार ऋण की राशियां अन्य कार्यों के लिए जारी की गई है। इसके अतिरिक्त जांच में यह भी पाया गया कि इन ऋण की राशियों को उपायुक्त कार्यालय की विभिन्न शाखाओं से अभी तक नहीं वसूला गया है जबकि इन राशियों को भुगतान किए एक से चार वर्ष तक का समय हो चुका है। इस सम्बन्ध में अनुभाग अधिकारी की अधियाचना संख्या 08 दिनांक 8.1.15 द्वारा उप–मण्डल अधिकारी नागरिक एवं सचिव (केन्द्रीय ईकाई) धर्मशाला को अवगत करवाया गया परन्तु इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई उतर नहीं दिया गया। अतः इन राशियों को सम्बन्धित शाखाओं से अविलम्ब वसूल करके इसे (केन्द्रीय ईकाई) धर्मशाला निधि में जमा किया जाए व भविष्य में

ऋण की राशि का भुगतान ई–गवर्नेन्स के नियमों को ध्यान में रखकर किया जाए तथा समय पर इनकी वसूली भी करने सुनिश्चित की जाए।

क0सं0	शाखा	उददेश्य	चैक सं0	दिनांक	राशि
1	जिलाधीश कांगड़ा	हार्ड वेयर क्रय	207395	28.1.10	346730
2	जिला नाजर धर्मशाला	UPS\Lan\Telephones Intercom\Elet bill water bill etc.	051252	1.12.12	1000000
3	उपायुक्त कांगड़ा	Sop Mini Sectt.	795224	19.2.13	1500000
4	विजय कुमार जिला नाजर	Vidhan Sabha Exp.	243722	17.6.13	65559
5	जिला नाजर कांगड़ा	Elect. Meter in New Building	274256	18.7.13	123395
6	जिला नाजर कांगड़ा	Vidhan Sabha Telephone Security	274276	12.12.13	127500
7	–यथोपरि–	–यथापरि–	274279	20.12.13	49170
8	उपायुक्त कागड़ा	Summer Festival Exp.	274288	18.1.14	58000
				योग	**₹3270354**

(ख) इसके अतिरिक्त उपरोक्त क्रम संख्या 3 पर चैक संख्या 795224 दिनांक 19.2.13 द्वारा ऋण की ₹1500000/– का भुगतान जिलाधीश कांगड़ा को Sop Phase-II Mini Sectriate के लिए निम्नविवरणानुसार सावधि जमा में किए गए निवेश की राशि को परिपक्वता तिथि से पहले ही निकासी करके किया गया है। इस प्रकार इस निधि से ऋण का भुगतान करन पर सोसाईटी को निम्नविवरणानुसार ₹106722/–क ब्याज के रूप में हानि हुई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए क्योंकि यदि उक्त ऋण न देकर तथा सावधि की राशि को पूर्व में न भुनाकर परिपक्वता पर तिथि पर भुनाया जाता तो सोसाईटी की पूरी राशि प्राप्त हो सकती थी। अतः ब्याज के रूप में उक्त हानि की ₹106722/– को उचित स्त्रोत से वसूल कर इस निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

सावधि संख्या	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	निकासी की तिथि	वास्तविक परिपक्व राशि	समय से पहले निकासी	अन्तर
8525437566D	1000000	24.01.14	19.2.13	1191909	1100441	91468
852543766 D	500000	24.7.13	19.2.13	552942	537688	15254

कुल ब्याज की हानि 106722

9 जनरेटर सैट की खरीद पर ₹243833/– का अनियमित व्यय करने बारेः–

जाँच के दौरान पाया गया कि सोसाईटी द्वारा चैक संख्या 359932 दिनांक 5.3.11 द्वारा 10KVA Noiseles डीजल जनरेटर सैट की बकाया ₹73838/– का भुगतान मै0 पावर वेवज इण्डस्ट्रीज मोहाली को उनके बिल नं0 105 दिनांक 18.9.10 के सन्दर्भ में किया गया, जबकि इस खरीद के लिए सोसाईटी द्वारा कुल ₹243833/' का भुगतान किया गया। जाँच में पाया गया कि सोसाईटी द्वारा इस जनरेटर सैट के संचालन हेतु डीजल की खरीद नहीं की गई है जिससे स्वयं प्रतीत होता है कि सोसाईटी द्वारा उक्त जनरेटर सैट का उपयोग नहीं किया गया है जबकि इसे खरीदे लगभग 4 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया कि जब से यह जनरेटर खरीदा है तब से एक बार भी नहीं चलाया गया है व बन्द पड़ा है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि इस प्रकरण में संस्था स्त्तर पर छानबीन करके आवश्यक कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए व की गई कार्रवाई से आडिट को अवगत करवाया जाए।

10 विभिन्न प्रकार के फार्मों की छपवाई पर व्यय की गई ₹618740 से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार विभिन्न प्रकार के फार्मों को छपवाई के लिए वाउचर संख्या शून्य दिनांक 11.3.14 द्वारा ₹618740/– का भुगतान मै0 यूनिक प्रिन्टर नरवाणा को उनके बिल संख्या 222 दिनांक शून्य के एवज में चैक संख्या 274304 दिनांक 11.3.14 द्वारा किया गया।

क्र0सं0	विवरण	फर्मों की संख्या
1	Conductor Licences form	1000
2	Driving Licence form	4000
3	Duplicate Driving Licence	4000
4	Parmanent Driving Licence	2000
5	Learner Driving Licence	2000
6	Registration of new vichle	32000
7	NOC	2000
8	Duplicate copy of registration	2000
9	Termination of Aggrement of H/Perchage	15000
10	Renewal certificate of Registration	2000

11	Renewal of conductor Licence	1000

उक्त खरीद में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) ई–गवर्नेन्स नियम 4.3 के अनुसार "The Printed forms shall also be supplied by the e-Governance centres at reasonable rates, the price of which shall be fixed by the Chief Administrator in consultation with committee from time to time" परन्तु जांच में पाया गया कि उक्त फार्मों को छपवाए लगभग एक वर्ष हो चुका है परन्तु अभी तक सक्षम अधिकारी द्वारा न तो उक्त फार्मों की बिक्री दर निर्धारित की गई व न ही सोसाईटी द्वारा इन फार्मों की बिक्री की गई है। अतः फार्मों को स्टॉक रजिस्टर में न लेने व फार्मों की बिक्री दर न निर्धारित करने तथा इनकी बिक्री न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा फार्मों की बिक्री दर निर्धारित इनकी बिक्री से सम्बन्धित प्रक्रिया को शीघ्र प्रारम्भ करके बिक्री से प्राप्त आय को केन्द्रीय ईकाई निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

(ख) इस प्रकरण में आदेश संख्या 602 दिनांक 18.11.11 की शर्त 2 के अनुसार फार्मों की छपवाई 45 दिन के भीतर करनी अपेक्षित थी तथा समय पर न करने पर फर्म की Performnance/जमानत की राशि जब्त की जानी अपेक्षित जो कि नहीं की गई। अतः ₹30000/– को जब्त करके इस निधि में जमा को जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

(ग) उक्त खरीद की स्टॉक प्रविष्टियाँ अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में खरीद की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः इनका स्टॉक इन्द्राज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित वास्तविक भुगतान की रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में भुगतान की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए वास्तविक भुगतान रसीद अब प्राप्त करके अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

11 ई–गवर्नेन्स निधि से ₹167870/– का अनियमित व्यय करने बारेः–

जाँच में पाया गया कि इस निधि से किए गए निम्नलिखित भुगतान सरकार की अधिसूचना संख्या TPT-F(1)-3/2000-e-Governance दिनांक 3.9.05 व सोसाईटी के Bye Laws के अनुसार इस निधि पर वैध प्रभार नही है। अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने के

उपरान्त अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

फर्म का नाम, जिसे भुगतान किया गया	विवरण	चैक संख्या	दिनांक	राशि
एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0	टेलीफोन बिल	710828	2.6.11	925
मै0 टूरीस टेकनॉलॉजी मुम्बई	2 B10, Metric Machine	359936	29.3.11	56700
एस0डी0ओ0 बी0एस0एन0एल0	टेलीफोन बिल	000050	1.12.12	643
मै0 शिवानी टेलीकाम धर्मशाला	नेटवर्किंग D.C. Office	274279	20.12.13	26090
एस0डी0ओ0, एच0पी0एस0ई0बी0	बिजली बिल	274280	31.12.12	17049
एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0	टेलीफोन बिल	274281	31.12.13	928
मै0 ठाकुर इलेक्ट्रीकल वर्कस धर्मशाला	एक्सटेशन कोड विधान सभा	274282	31.12.13	2250
मै0 कम्पयूटेक सिस्टम पालमपुर	10 टोनर केट केवल पेन ड्राईव विधान सभा	274283	31.12.13	42985
पोस्ट मास्टर धर्मशाला	डाक टिकटें	243708	11.4.13	20000
			योग	**₹167870**

12 सोसाईटी द्वारा ₹203197/– की खरीद कुटेशनों के आधार पर न करने बारेः–

एच0पी0एफ0आर0 2009 के नियम 97 के अनुसार ₹3000/– स अधिक तथा इससे पूर्व ₹1000 से अधिक की खरीद कुटेशनों के आधार पर की जानी अपेक्षित थी परन्तु संस्था द्वारा निम्नविवरणानुसार खरीद कुटेशनों के आधार पर नहीं की गई है जबकि कुटेशनों के आधार पर खरीद करके बाजारी प्रतियोगिता का लाभ उठाया जा सकता है। अतः बिना कुटेशनों के खरीद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस अनियमितता को नियमित करवाकर अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

फर्म का नाम	विवरण	बिल नं0/दिनांक	चैक सं0/दिनांक	राशि
मै0 एच0एच0 टेकनॉलाजी चण्डीगढ़	Repair Kit Computer	10649/9.3.08	112193/9.9.08	23400
मै0 कम्पयूटेक	Tonner	3876/28.2.11	359935/10.3.11	6721

सिस्टम पालमपुर				
मै0 टूरिस टेकनोलोजी मुम्बई	2 बायोमैट्रिक मशीन	840/6.1.11	359936/29.3.11	56700
मै0 कुबेर स्टील ई0 कांगड़ा	1 अलमारी	0007/27.4.11	710827/2.6.11	7022
मै0 ठाकुर इलैक्ट्रीकल वर्क धर्मशाला	बिजली का सामान	1139/23.5.11	710829/2.6.11	4650
मै0 कपिल ट्रेडर्ज ज्वालामुखी	1 कम्पयूटर टेबल 1 कुर्सी	शून्य/30.11.12	000055/1.12.12	5950
मै0 कम्पयूटेक सिस्टम पालमपुर	10 टोनर	6472 व 6528/14.11.12 व 30.11.12	000053/4.12.12	29679
मै0 शिवानी टेलीकाम धर्मशाला	Networking D.C. Office	516/5.9.13	274279/20.12.13	26090
मै0 कम्पयूटेक सिस्टम पालमपुर	10 टोनर 1 केट केवल 1 Pan Drive	7963/10.12.13	274283/31.12.13	42985
			योग	**₹203197**

13 खरीदे गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करने बारेः—

जाँच में पाया गया कि ई—गवर्नेन्स निधि (केन्द्रीय ईकाई) धर्मशाला द्वारा निम्नविवरणानुसार सामान खरीदा गया परन्तु खरीदे गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसक अभाव में अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः स्टॉक प्रविष्टियाँ न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में अब करके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

बिल सं0/दिनांक	**चैक सं0/दिनांक**	**फर्म का नाम**	**राशि**	**विवरण**
178, 1373, 180/11.6.08, 24.6.08 व 25.6.08	112196/9.9.08	मै0 इनफोटेक एक्सेसिस धर्मशाला	2700	2 टोनर 1 माउस

3876／28.2.11	359935／10.3.11	मै0 कम्पयूटेक सिस्टम पालमपुर	6721	3 टोनर
0007／27.4.11	710827／2.6.11	मै0 कुबेर स्टील ई0 कांगड़ा	7022	1 अलमारी
1139／23.5.14	710829／2.6.11	मै0 ठाकुर इलैक्ट्रीकल वर्कस धर्मशाला	4650	बिजली का सामान
72, 78, 24, 18／17.2.11, 8.01.11, 24.12.10 व 3.1.11	710831／2.6.11	मै0 सिंह कमपयूटर रिपेयर सेन्ट्र धर्मशाला	6504	3 टोनर व नेटवर्किंग
493 व 498／30.1.11	710830／2.6.11	मै0 जाईफर नेटवर्क धर्मशाला	4424	2 टोनर 1 ink 1 USB
शून्य／3.11.12	000055／1.12.12	मै0 कपिल ट्रेडर्ज ज्वालामुखी	5950	1 कम्पयूटर टेबल 1 कुर्सी
516／5.9.13	274279／20.12.13	मै0 शिवानी टेलीकाम धर्मशाला	26090	नेटवर्किंग डी0सी0 आफिस
26235908／21.7.12	265515／30.7.12	मै0 डेल इण्डिया लि0 बगलोर	98706	2 लेप टाप
		योग	**₹162767**	

14 भुगतान की गई ₹40231／– से सम्बन्धित बिल／वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारेः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) धर्मशाला की रोकड़ बही के अनुसार निम्नविवरणानुसार ₹40231／– को जो भुगतान विभिन्न फर्मों को किया गया दर्शाया गया है, उनसे सम्बन्धित बिल／वउाचर अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिस कारण व्यय की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित बिल／वाउचरों को ढूढ़कर सत्यापन हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

फर्म का नाम	**विवरण**	**चैक सं0／दिनांक**	**राशि**
एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0	टेलीफोन बिल	207394／23.01.10	1233
श्री बलवीर भुरिया (टी0ई0)	वेतन बिल	710832／1.06.11	6600

श्रीमती अलका (डी0ई0ओ0)	–यथोपरि–	710833 / 1.6.11	4400
श्रीमती सविता (डी0ई0ओ0)	–यथोपरि–	710834 / 1.6.11	4191
श्री शशि कान्त (चपड़ासी)	–यथोपरि–	710835 / 1.6.11	4400
एस0डी0ओ0 (बिजली बोर्ड)	बिजली बिल	710837 / 1.6.11	18493
मै0 सिंह कम्पयूटर सैन्ट्र धर्मशाला	मुरम्मत बिल	710838 / 1.6.11	914
		योग	**₹40231**

15 कम्पयूटर हार्डवेयर से सम्बन्धित सामान का नियमानुसार क्रय न करनाः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी के नियम 7.3 के अनुसार कम्पयूटर हार्डवेयर से सम्बन्धित की खरीद कम से कम तीन फर्मों से निविदाऐं आमन्त्रित करके की जानी अपेक्षित थी जिनमें से एक फर्म सरकारी ऐजेन्सी होनी आवश्यक है, परन्तु जांच में पाया गया कि ज्यादातर Hardware का सामान खुले बाजार से बिना कुटेशनों क आधार पर किया जा रहा है जो कि उचित नहीं है। अतः नियमानुसार कम्पयूटर हार्डवेयर का क्रय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की खरीद उपरोक्त नियमानुसार ही की जानी सुनिश्चित की जाए।

16 स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि सोसाईटी द्वारा स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव ई–गवर्नेन्स सोसाईटी के नियम 9.2 A व B में दर्शाए परफोमा के अनुसार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिसके अभाव में अंकेक्षण द्वारा स्टॉक की सही स्थिति की जांच नहीं की जा सकी। अतः स्टॉक का इन्द्राज उपरोक्त नियमानुसार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में स्टॉक रजिस्टरो का रख रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी के नियम संख्या 9.4 के अनुसार स्टॉक व स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवर्ष किया जाना अनिवार्य है, परन्तु जाँच में पाया गया कि (केन्द्रीय ईकाई) धर्मशाला द्वारा स्टॉक व स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन एक बार भी नहीं किया गया। अतः स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमानुसार प्रति वर्ष करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

18 विविधः–

केन्द्रीय ईकाई द्वारा समय–2 पर जिले की विभिन्न ई–गवर्नेन्स सोसाईटियों (RLAs) को विभिन्न प्रकार सामग्री की मदें जारी की गई तथा जिला कांगड़ा की विभिन्न ई–गवर्नेन्स सोसाईटियों (RLAs) द्वारा भी केन्द्रीय ईकाई धर्मशाला को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में राशियां भेजी गई परन्तु इनका मिलान केन्द्रीय ईकाई द्वारा सम्बन्धित (RLAs) के साथ नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

20 निष्कर्षः– लेखों के रख–रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii)37/2015–2508–2512 दिनांक21.05.2015, शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृतः–1 उप मण्डल अधिकारी (आर0एल0ए0) काँगड़ा स्थित धर्मशाला-cum- सचिव ई–गवर्नेन्स (केन्द्रीय ईकाई) धर्मशाला जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश काँगड़ा स्थित धर्मशाला जिला काँगड़ा (हि0प्र0)
3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला–03
4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02
5 श्री मुकेश कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.